न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, विकासनगर, देहरादून।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–............/2026

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

मु0अ0सं0 88/2026
धारा–109, 191(2), 61(2) व 3(5) बी०एन०एस०,
थाना–सहसपुर।

दिनांक–12.05.2026

अभियुक्त सुरज पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी वार्ड नं0 7 बाल्मिकी बस्ती, तहसील पौंटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, मु0अ0सं0 88/2026, अन्तर्गत धारा 109, 191(2), 61(2) व 3(5) बी०एन०एस०, थाना सहसपुर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं।

2. अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यतः यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त स्थाई पते का निवासी है। उसको उपरोक्त अपराध में थाना सहसपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 27.04.2026 को गिरफ्तार किया गया है तभी से अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। कथित गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसके द्वारा कोई मारपीट नही की गयी है ना ही उससे कोई चाकू बरामद हुआ है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय 47 बीएनएसएस के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और ना ही अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है आदि कथन करते हुए अंत में जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

3. अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए अपराध संज्ञेय व अजमानतीय प्रकृति का होना बताया गया।

4. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विशाल गौड तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित मेहता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसण में आपराधिक षडयन्त्र के तहत लाठी डन्डो से लैस होकर दिनांक 26.04.2026 समय 17:30 बजे, स्थान लांघा रोड शीलता नदी पुल के पास, अतंर्गत थाना क्षेत्र सहसपुर में वादी के भाई को जान से मारने की नियत से हमला कर गम्भीर रूप से घायल होने का कथित अभियोग है। ऐसे में अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है।

6. अतः मामले के समस्त तथ्यों तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुण–दोष पर कोई राय न व्यक्त करते हुए अभियुक्त

के जमानत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने का आधार न्यायालय नहीं पाता है। तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी / अभियुक्त सुरज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 88 / 2026, अन्तर्गत धारा 109, 191(2), 61(2) व 3(5) बी०एन०एस०, थाना सहसपुर के मामले में अस्वीकार किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये तथा एक प्रति मय आख्या जेल अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून को प्रेषित की जाये।

(जतिन मित्तल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
विकासनगर, देहरादून।